Date - 9 March 2022

‘कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव’

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने स्कूल छोड़ने वालों को औपचारिक शिक्षा/या कौशल प्रणाली में वापस लाने के लिए एक अभूतपूर्व अभियान ‘कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव’ शुरू किया।

इस योजना के मुख्य बिंदु:

- यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में शुरू की गई है।
- यह योजना स्कूल न जाने वाली लड़कियों को ‘शिक्षा प्रणाली’ में वापस लाने के लिए ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम’ में निर्धारित लक्ष्य को भी पूरा करेगी।

महिला शिक्षा से संबंधित मुद्दे:

- उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूली शिक्षा में अंतर: हालांकि 1990 के दशक से महिला नामांकन में तेजी से वृद्धि हुई है, लेकिन उच्च प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में महिला शिक्षा में पर्याप्त अंतराल मौजूद है।
- उच्च विद्यालय छोड़ने की दर: लड़कों की तुलना में लड़कियों की उच्च विद्यालय छोड़ने की दर और निम्न वर्ग की उपस्थिति के कारण महिला नामांकन की बढ़ती दर अप्रभावी हो जाती है। स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या लड़कियों में सबसे ज्यादा है।
- अंतर-राज्यीय अंतर: देश में विभिन्न राज्यों के बीच ‘लैंगिक समानता’ के संदर्भ में काफी भिन्नताएं हैं। यद्यपि सबसे अधिक शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों जैसे बिहार और राजस्थान ने महिला नामांकन में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, फिर भी इन राज्यों को केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों के बराबर जाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है।
- बेटे को वरीयता: कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि लड़कों की तुलना में सरकारी स्कूलों में लड़कियों का प्रतिनिधित्व काफी अधिक है, जो लगातार बेटों को वरीयता देने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार, लड़कों को (कथित तौर पर) बेहतर गुणवत्ता वाले निजी और बेहतर स्कूलों में भेजा जाता है।

Yojna IAS

भारत में महिला शिक्षा की दिशा में किए जा रहे विभिन्न सरकारी प्रयास:

- बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजना: इसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और बालिकाओं के लिए कल्याणकारी सेवाओं की दक्षता में सुधार करना है। अभियान का मुख्य उद्देश्य लगातार गिरते 'बाल लिंगानुपात' में सुधार करना था, बल्कि शिक्षा, उत्तरजीविता और बालिकाओं की सुरक्षा को बढ़ावा देना भी था।
- डिजिटल जेंडर एटलस: भारत में लड़कियों की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक 'डिजिटल जेंडर एटलस' तैयार किया गया है।
- माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना (एनएसआईजीएसई): इस योजना का उद्देश्य स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के नामांकन को बढ़ावा देना, एक सक्षम वातावरण बनाना है।
- सर्व शिक्षा अभियान: प्रारंभिक शिक्षा में लड़कियों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, सर्व शिक्षा अभियान के तहत लड़कियों के लिए विभिन्न हस्तक्षेपों को लक्षित किया जाता है, इनमें स्कूल खोलना, अतिरिक्त महिला शिक्षकों की नियुक्ति, लड़कियों के लिए अलग शौचालय, शिक्षकों के संवेदीकरण कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इसके अलावा शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए): शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, माध्यमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, लिंग, सामाजिक-आर्थिक और विकलांगता बाधाओं को दूर करने के लिए प्रत्येक बस्ती से उचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय प्रदान करना।
- उड़ान: सीबीएसई ने ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा की छात्राओं को मुफ्त ऑनलाइन तैयारी संसाधन उपलब्ध कराने के लिए उड़ान योजना शुरू की है। इस योजना का विशेष फोकस प्रतिष्ठित संस्थानों में छात्राओं के कम नामांकन अनुपात में सुधार करना है।
- **STEM** शिक्षा: STEM शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आईआईटी और एनआईटी में अतिरिक्त सीटों का सृजन किया गया है।

Yojna IAS

सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले

- हाल ही में, 19वीं सदी के समाज सुधारकों सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले के "युवा विवाह" का कथित रूप से मजाक उड़ाने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल की आलोचना की गई थी।
- महात्मा ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले को भारत के सामाजिक और शैक्षिक इतिहास में एक असाधारण जोड़े के रूप में गिना जाता है।
- उन्होंने महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में और जाति और लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करने में अग्रणी के रूप में कार्य किया।

सावित्रीबाई और ज्योतिराव फुले:

- वर्ष 1840 में, जब बाल विवाह एक आम बात थी, 10 साल की उम्र में सावित्रीबाई का विवाह ज्योतिराव से हुआ, जो उस समय 13 वर्ष के थे।
- बाद के समय में दंपति ने बाल विवाह का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह की भी वकालत की।

ज्योतिराव फुले:

- ज्योतिराव फुले एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति-विरोधी समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक थे।
- उन्हें ज्योतिबा फुले के नाम से भी जाना जाता है।
- शिक्षा: वर्ष 1841 में, फुले ने स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल (पुणे) में दाखिला लिया, जहाँ उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की।
- विचारधारा: उनकी विचारधारा स्वतंत्रता, समतावाद और समाजवाद पर आधारित थी।
- फुले थॉमस पेन की पुस्तक 'द राइट्स ऑफ मैन' से प्रभावित थे और उनका मानना था कि सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने का एकमात्र तरीका महिलाओं और निम्न वर्गों को शिक्षा प्रदान करना है।
- प्रमुख प्रकाशन: तृतीया रत्न (1855); पोवाड़ा: छत्रपति शिवाजीराज भोंसले यांचा (1869); गुलामगिरी (1873), शाक्तरायच असूद (1881) ।
- महात्मा की उपाधि: 11 मई, 1888 को, उन्हें महाराष्ट्र के एक सामाजिक कार्यकर्ता विट्ठलराव कृष्णजी वंदेकर द्वारा 'महात्मा' की उपाधि से सम्मानित किया गया।
- सामाजिक सुधार: वर्ष 1848 में, उन्होंने अपनी पत्नी (सावित्रीबाई) को पढ़ना-लिखना सिखाया, जिसके बाद दंपति ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल खोला, जहाँ वे दोनों पढ़ाते थे।
- वह लैंगिक समानता में विश्वास करते थे और अपनी सभी सामाजिक सुधार गतिविधियों में अपनी पत्नी को शामिल करके अपने विश्वासों का पालन करते थे।
- वर्ष 1852 तक फुले ने तीन स्कूल स्थापित कर लिए थे, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद धन की कमी के कारण, इन स्कूलों को वर्ष 1858 तक बंद कर दिया गया था।
- ज्योतिबा ने विधवाओं की दुर्दशा को समझा और युवा विधवाओं के लिए एक आश्रम की स्थापना की और अंततः विधवा पुनर्विवाह के विचार के समर्थक बन गए।
- ज्योतिराव ने ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों की रूढ़िवादी मान्यताओं का विरोध किया और उन्हें "पाखंडी" करार दिया।
- वर्ष 1868 में ज्योतिराव ने अपने घर के बाहर सामूहिक स्नानागार बनवाने का निश्चय किया, ताकि सभी मनुष्यों से अपनेपन की भावना को प्रतिबिंबित किया जा सके, साथ ही उन्होंने सभी जातियों के सदस्यों के साथ भोजन करना शुरू किया।
- उन्होंने एक जागरूकता अभियान शुरू किया जो अंततः डॉ. बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी को आगे बढ़ाया, जिन्होंने बाद में जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक बड़ी पहल की।
- कई लोगों का मानना है कि 'दलित' शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले फुले ने ही उन उत्पीड़ित जनता को चित्रित करने के लिए किया था जिन्हें अक्सर 'वर्ण व्यवस्था' से बाहर रखा गया था।

सावित्रीबाई फुले:

Yojna IAS

- सावित्रीबाई ने वर्ष 1852 में महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 'महिला सेवा मंडल' की शुरुआत की।
- सावित्रीबाई ने एक महिला सभा का आह्वान किया, जिसमें सभी जातियों के सदस्यों का स्वागत किया गया और सभी से एक साथ मंच पर बैठने की अपेक्षा की गई।
- उन्होंने वर्ष 1854 में 'काव्य फुले' और वर्ष 1892 में 'बावन काशी सुबोध रत्नाकर' प्रकाशित किया।
- अपनी कविता 'गो, गेट एजुकेशन' में वह उत्पीड़ित समुदायों से शिक्षा प्राप्त करने और उत्पीड़न की जंजीरों से मुक्त होने का आग्रह करती हैं।
- उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करते हुए बाल विवाह के खिलाफ मिलकर अभियान चलाया।
- उन्होंने वर्ष 1873 में पहला सत्यशोधक विवाह शुरू किया – बिना दहेज के विवाह, ब्राह्मण पुजारी या ब्राह्मणवादी प्रथा।

विरासत:

- वर्ष 1848 में, फुले ने पूना में लड़कियों, शूद्रों और अति-शूद्रों के लिए एक स्कूल शुरू किया।
- 1850 के दशक में, फुले दंपत्ति ने दो शैक्षिक ट्रस्ट शुरू किए- नेटिव फीमेल स्कूल (पुणे) और महार की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सोसायटी- जिसमें कई स्कूल शामिल थे।
- वर्ष 1853 में उन्होंने गर्भवती विधवाओं के लिए सुरक्षित प्रसव के लिए और सामाजिक मानदंडों के कारण शिशुहत्या की प्रथा को समाप्त करने के लिए एक देखभाल केंद्र खोला।
- बालहत्या प्रबंधक गृह (शिशु हत्या निवारण गृह) की शुरुआत उनके ही घर में हुई।
- सत्यशोधक समाज (द ट्रुथ-सीकर्स सोसाइटी) की स्थापना 24 सितंबर, 1873 को ज्योतिराव-सावित्रीबाई और अन्य समान विचारधारा वाले लोगों द्वारा की गई थी।
- उन्होंने समाज में सामाजिक परिवर्तन की वकालत की और प्रचलित परंपराओं के खिलाफ कदम उठाए जिनमें आर्थिक विवाह, अंतर्जातीय विवाह, बाल विवाह का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह शामिल हैं।
- साथ ही सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्न जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को शिक्षा प्रदान करने और समाज की शोषक परंपरा से अवगत कराने के उद्देश्य से की गई थी।

'समर्थ' पहल: अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022

- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (MSME) ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान- "समर्थ" शुरू किया।

समर्थ पहल के बारे में:

Yojna IAS

मंत्रालय की समर्थ पहल के तहत इच्छुक और मौजूदा महिला उद्यमियों को निम्नलिखित लाभ उपलब्ध होंगे:

- मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के तहत आयोजित नि:शुल्क कौशल विकास कार्यक्रमों में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत सीटें आवंटित की जाएंगी।
- मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विपणन सहायता योजनाओं के तहत घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजे जाने वाले MSME व्यापार प्रतिनिधिमंडल का 20 प्रतिशत महिलाओं के स्वामित्व वाले MSME को समर्पित किया जाएगा।
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) की वाणिज्यिक योजनाओं के लिए वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क पर 20% की छूट।
- NSIC सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का उद्यम है।
- उद्यम पंजीकरण के तहत महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान।
- इस पहल के माध्यम से, एमएसएमई मंत्रालय महिलाओं को कौशल विकास और बाजार विकास सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- वित्त वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्रों की 7500 से अधिक महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा।
- इसके अलावा, हजारों महिलाओं को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और उनका विपणन करने का अवसर मिलेगा।
- साथ ही सार्वजनिक खरीद में महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान एनएसआईसी की निम्नलिखित वाणिज्यिक योजनाओं पर वार्षिक प्रसंस्करण शुल्क पर 20 प्रतिशत की विशेष छूट की पेशकश की जाएगी:
    - एकल बिंदु पंजीकरण योजना
    - कच्चे माल का समर्थन और बिल छूट
    - टेंडर मार्केटिंग
    - B2B पोर्टल com

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस:

- यह हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इसमें शामिल है:
- महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाना,
- महिलाओं की समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाना,
- त्वरित लैंगिक समानता का समर्थन करना,
- महिला केंद्रित दान आदि के लिए धन जुटाना।

संक्षिप्त इतिहास:

- महिला दिवस पहली बार वर्ष 1911 में एक जर्मन महिला क्लारा जेटकिन द्वारा मनाया गया था। इस त्योहार की जड़ें मजदूर आंदोलन में निहित थीं।

Yojna IAS

- वर्ष 1913 में इस दिन को 8 मार्च को मनाने का निर्णय लिया गया था और तब से यह इस दिन को मनाया जाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1975 में मनाया गया था।
- दिसंबर 1977 में, महासभा ने संयुक्त राष्ट्र दिवस को महिला अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए वर्ष के किसी भी दिन मनाने के लिए सदस्य राज्यों द्वारा उनकी ऐतिहासिक और राष्ट्रीय परंपराओं के अनुसार मनाने की घोषणा की।

वर्ष **2022** की थीम:

- "एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता"।

संबंधित डेटा:

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, कानूनी प्रतिबंधों ने 7 अरब महिलाओं को पुरुषों के समान नौकरियों तक पहुंच से वंचित कर दिया है।
- वर्ष 2019 तक संसद में महिलाओं की भागीदारी 25% से कम थी।
- तीन में से एक महिला लिंग आधारित हिंसा का अनुभव करती है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2019 में कोविड महामारी से पहले, भारत में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी 5% थी, जबकि महिलाओं की तुलना में यह संख्या 76% थी।
- विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स/ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स (जो लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को मापता है) के अनुसार, भारत दक्षिण एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक है, 2021 में 156 देशों में से 140वें स्थान पर है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5 के अनुसार, वर्ष 2015-16 में 53% की तुलना में वर्ष 2019-21 में 15-49 आयु वर्ग की 57% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थीं।

भारत में महिलाओं के लिए सुरक्षात्मक उपाय:

संवैधानिक सुरक्षा उपाय:

- मौलिक अधिकार: सभी भारतीयों के लिए समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14), लिंग के आधार पर राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं [अनुच्छेद 15(1)] और महिलाओं की गारंटी के पक्ष में राज्य द्वारा किए गए विशेष प्रावधान [अनुच्छेद 15(3)].
- मौलिक कर्तव्य: संविधान के अनुच्छेद 51 (ए) (ई) के माध्यम से महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को छोड़ने के लिए प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य प्रदान करता है।

कानूनी उपाय:

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, **2005:** यह घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए अभियोजन के माध्यम से व्यावहारिक उपचार के साधन प्रदान करता है।

Yojna IAS

- दहेज निषेध अधिनियम, **1961:** यह दहेज के अनुरोध, भुगतान या स्वीकृति को प्रतिबंधित करता है।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, **2013:** यह विधायी अधिनियम महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने का प्रयास करता है।
- संबंधित योजनाएं: महिला ई-हाट, महिला प्रौद्योगिकी पार्क, ट्रांसफॉर्मिंग संस्थानों के लिए लैंगिक उन्नति (गति) आदि।

महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन:

संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं पर **4** विश्व सम्मेलन आयोजित किए हैं:

- मेक्सिको सिटी, 1975
- कोपेनहेगन, 1980
- नैरोबी, 1985
- बीजिंग, 1995
- बीजिंग में आयोजित महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन (WCW), संयुक्त राष्ट्र की अब तक की सबसे बड़ी सभाओं में से एक था और लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
- बीजिंग घोषणापत्र महिला सशक्तिकरण का एक एजेंडा है और इसे लैंगिक समानता पर अग्रणी वैश्विक नीति दस्तावेज माना जाता है।
- यह महिलाओं की उन्नति, स्वास्थ्य और सत्ता में स्थापित और निर्णय लेने वाली महिलाओं, बालिकाओं और पर्यावरण जैसे चिंता के 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में लैंगिक समानता की उपलब्धि के लिए रणनीतिक उद्देश्यों और कार्यों को निर्धारित करता है।
- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने विकासशील देशों में गरीब महिलाओं के लिए एक अस्थायी बुनियादी आय का प्रस्ताव किया है, ताकि उन्हें कोरोना महामारी के प्रभावों से निपटने में मदद मिल सके और उनके द्वारा प्रतिदिन सामना किए जाने वाले आर्थिक दबाव को कम किया जा सके।

Swadeep Kumar

Yojna IAS